आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

19/12/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-75/2023-2024

एलेन मनोहर टोप्पो,...आवेदक।

बनाम

नेलसन तिरू ....विपक्षी।

आदेश

आवेदक एलेन मनोहर टोप्पो, पिता–स्व० विलियम टोप्पो, जाति–उराँव निवास ग्राम–कुसई, पोस्ट+थाना–डोरण्डा, जिला राँची द्वारा जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन विपक्षी नेलसन तिरू, निवास ग्राम–सेमर टोली, अरगोड़ा, थाना–अरगोड़ा, जिला–राँची द्वारा छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
अरगोड़ा	208	148	699, 700, 706	44 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत खतियान में अलफीश टोप्पो वल्द नीकोदीन टोप्पो KAUM- KRISTAN शाकिन देह नाम से दर्ज है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षी ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है। खतियानी रैयत अलफीश टोप्पो अपने पीछे चार पुत्र बीसराम टोप्पो, होलेन टोप्पो, वीर टोप्पो, और वारीस टोप्पो को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। होलेन टोप्पो अपने पीछे दो पुत्र विलियम टोप्पो, प्रदीप टोप्पो को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। विलियम टोप्पा अपने पीछे दो पुत्र (1) अनीजेसिका टोप्पो, (2) एलेन मनोहर टोप्पो, (आवेदक) को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। खतियानी रैयत के वंशज हैं।

M.- 19/12/24

कृ०पृ०उल्टे

आवेदक की ओर से खतियान की छाया प्रति अंचल रसीद और वंशावली दाखिल किया गया है।

इसी को आधार मानते हुए कारण–पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया।

विपक्षी अपने कारण पृच्छा में कहते हैं कि वर्णित भूमि पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है। क्योंकि खतियान में KAUM- KRISTAN दर्ज है। आवेदक अपने आवेदन में कौम–उराँव लिखते हैं पर खतियान में कौम– KRISTAN दर्ज है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कौम–KRISTAN नहीं आता है।

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क सुनने तथा न्यायालय में दाखिल कागजातों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह वाद CNT Act 1908 की धारा 71"A" के तहत् पोषणीय नहीं है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है, तथा वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

19/12/24	19/12/24
विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।	विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.01.04 16:18:01 +05:30
Location: 192.168.109.39